



क्रमांक: 10113/विधि/171/2019/20790
प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक 20/09/2024

कुलसचिव
श्री दावड़ा विश्वविद्यालय,
ग्राम- भेन गाडीह, तहसील अमनपुर
जिला-रायपुर(छ.ग.)

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालय (श्री दावड़ा विश्वविद्यालय, जिला-रायपुर) में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में संचालित एवं अध्यादेश में प्रकाशित पाठ्यक्रमों की शुल्क निर्धारण के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 36(8)(ख) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में श्री दावड़ा विश्वविद्यालय, जिला-रायपुर, में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिये आयोग द्वारा निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किया जाता है।

विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क का विवरण:-

सं. क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	सत्र 2024-25 हेतु आयोग द्वारा अनुमोदित शुल्क(रु.में)
1	BA	12000
2	BA (Yoga)	15000
3	MA (Yoga)	17000
4	Bachelor of Rural Studies	15000
5	Master of Rural Studies	15000
6	BA (Fashion Design)	23000
7	MA (Fashion Design)	24000
8	BA (Hons)	15000

क्रमशः 02

(02)

9	MA	15000
10	BSW	15000
11	MSW	17000
12	BA (Fine Arts)	30000
13	MA (Fine Arts)	30000
14	BA (Home. Sc.)	12000
15	MA (Home. Sc.)	12000
16	MA (Education)	18000
17	BA (Interior Design)	30000
18	MA (Interior Design)	30000
19	Bachelor of Journalism	15000
20	Mater of Journalism	15000
21	BAJMC	15000
22	MAJMC	15000
23	BA (Photography)	25000
24	MA (Photography)	28000
25	BA (Film Making)	25000
26	MA (Film Making)	28000
27	BSc (Animation)	30000
28	MSc (Animation)	35000
29	BBA (HM)	35000
30	BHMCT	35000
31	MHMCT	35000
32	DHMCT	25000
33	BA (HTM)	35000

क्रमशः:03





34	MA (HTM)	40000
35	BA (TTM)	35000
36	MA (TTM)	40000
37	BBA	40000
38	MBA	60000
39	BCom	22000
40	B. Com. (Hons)	25000
41	M. Com.	25000
42	PGDBA	18000
43	PGDRD	20000
44	B. Lib. & I. Sc.	15000
45	M. Lib. & I. Sc.	18000
46	B.Sc. (PCM)	25000
47	B.Sc. (PCB)	25000
48	B.Sc. (ZBC)	25000
49	M. Sc.	30000
50	B.Sc. (Forensic)	35000
51	M.Sc. (Forensic)	35000
52	B.Sc. (CS/IT)	30000
53	M.Sc. (CS/IT)	30000
54	B.Sc. in Biotechnology	30000
55	B.Sc. (Microbiology)	30000
56	M.Sc. (Biotechnology)	30000
57	M.Sc. (Microbiology)	30000
58	B.Sc. (Yoga)	30000

क्रमशः:04

A

Q

(04)

59	M.Sc. (Yoga)	30000
60	B.Sc. (Forestry & Wildlife)	30000
61	M.Sc. (Forestry & Wildlife)	30000
62	B.Sc. (Nutrition and Dietetics)	30000
63	M.Sc. (Nutrition and Dietetics)	30000
64	B.Sc. (Fashion Design)	30000
65	B.Sc. (Interior Design)	30000
66	M.Sc. (Fashion Design)	30000
67	M.Sc. (Interior Design)	30000
68	B.Sc. (Bioinformatics)	30000
69	M.Sc. (Bioinformatics)	30000
70	BCA	21000
71	MCA	35000
72	B. Voc. Degree	20000
73	B. Voc. Adv. Diploma	12000
74	B. Voc. Diploma	10000
75	Ph.D.	100000
76	PGDCA	16000
77	DCA	12000

1. अनुमोदित कुल शुल्क में से 10 % राशि विकास शुल्क होगी। इसका लेखा पृथक से रखना होगा। विकास शुल्क की राशि का उपयोग नियमानुसार विश्वविद्यालय के विकास में करना होगा।
2. प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के लिये निर्धारित शुल्क वार्षिक है तथा यह शुल्क सत्र 2024-25 में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित समयावधि पूरी होने तक लागू रहेगी।
3. उपरोक्त पाठ्यक्रमों में से यदि किसी पाठ्यक्रम के लिए शुल्क राशि का निर्धारण राज्य की शुल्क निर्धारण समिति द्वारा किया गया है, तो उस पाठ्यक्रम हेतु वही शुल्क राशि मान्य होगी।

क्रमशः:05

A 9

4. प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु शुल्क में सम्मिलित समस्त शुल्क यथा रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों में शुल्क सहित समस्त शुल्क शामिल हैं, तथापि परीक्षा शुल्क, पूरक परीक्षा एवं पुनर्मूल्यांकन शुल्क, यातायात/बस चार्जस, छात्रावास/मेस चार्जस आदि वैयक्तिक व्यय पृथक से लिये जा सकेंगे परंतु उनका लेख भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
5. आगामी वित्तीय वर्ष की समीक्षा के साथ उक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों की तुलना, अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों से कर प्रस्तुत करना होगा। अंतर के कारणों को स्पष्ट करते हुए यदि लागतें बढ़ी तो उसकी पूर्ति कहाँ से की गई, स्पष्ट करनी होगी, यदि लागतें कम हुईं तो अधिक वसूली गई फीस छात्रों को वापस करनी होगी।
6. आयोग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु अनुमोदित शुल्क से यदि विश्वविद्यालय द्वारा अधिक शुल्क विद्यार्थियों से लिया गया है, तो इस राशि को विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को वापस करना होगा अथवा इसका समायोजन आगामी सत्र में करना होगा तथा इस संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी आयोग कार्यालय को अनिवार्य रूप से 15 दिवस के अंदर देनी होगी।
7. विश्वविद्यालय द्वारा यदि किसी पाठ्यक्रम के लिए शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शुल्क निर्धारण आयोग कार्यालय से नहीं कराया गया है तो वर्तमान में लिये जा रहे शुल्क की जानकारी आयोग कार्यालय को तुरंत प्रेषित किया जायें। यह शुल्क किसी भी स्थिति में पूर्ववर्ष में आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं होना चाहिए।
8. समस्त निजी विश्वविद्यालयों को आगामी प्रत्येक वर्षों में शैक्षणिक शुल्क का निर्धारण आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु माह अप्रैल-मई में अनिवार्य रूप से कराया जाना होगा। जो विश्वविद्यालय माह अप्रैल-मई में शुल्क का निर्धारण नहीं करवायेंगे तो यह माना जायेगा कि वे पूर्व वर्ष में निर्धारित शुल्क में किसी तरह की वृद्धि नहीं करेंगे, किन्तु इस संदर्भ में आयोग को विश्वविद्यालय द्वारा जून माह के पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा।
9. जिन विषयों में शुल्क का निर्धारण आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं करवाया जायेगा, उन विषयों में विश्वविद्यालय को प्रवेश देने की पात्रता नहीं होगी।



(के.के. चंद्राकर)

सचिव

छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक
आयोग(छ.ग.)

